क्रम-संख्या—328

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 12 जून, 1979

ज्येष्ठ 22, 1901 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 1519/सत्रह-वि0-1—41-1979

लखनऊ, 12 जून; 1979

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) विधेयक, 1979 पर दिनांक 10 जून, 1979 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) अधिनियम, 1979

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1979)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली कतिपय मोटर गाड़ियों पर पथ-कर का उद्ग्रहण करने और उससे सम्बद्ध और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए।

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) अधिनियम, 1979 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 1 मई, 1979 को प्रवृत समझा जायगा।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में,—

(क) "नाका" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन स्थापित किसी नाका से है;

(ख) "माल वाहन" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 में उसके लिए दिया गया है;

(ग) "मोटर परिवहन गाड़ी" का तात्पर्य किसी यात्री गाड़ी या किसी माल वाहन से है;

(घ) "परिचालक" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम मोटर परिवहन गाड़ी से सम्बन्धित अनुज्ञा-पत्र में उसके धारक के रूप में दर्ज हो और इसके अन्तर्गत गाड़ी का तत्कालीन प्रभारी व्यक्ति भी है;

(ङ) "यात्री गाड़ी" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 में उसके लिए दिया गया है;

(च) "पथ-कर" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन उद्गृहीत पथ-कर से है;

(छ) "पथकर अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी या अधिकारियों से है जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए या उसके किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए पथ-कर अधिकारी नियुक्त करे और इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 या उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 के अधीन नियुक्त कोई कर अधिकारी भी है;

(ज) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए हों और परिभाषित न किये गये हों किन्तु मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 में परिभाषित किये गये हों, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उस ऐक्ट में उनके लिए दिया गया है।

पथ-कर का उद्गृहीण

3—(1) मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 के अधीन उत्तर प्रदेश के बाहर अधिकारिता रखने वाले किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी अनुज्ञा-पत्र (परमिट) के अधीन चलने वाली ऐसी प्रत्येक मोटर परिवहन गाड़ी पर, जो उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करे, एक सौ रुपये प्रति गाड़ी से अनधिक ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, पथ-कर उद्गृहीत किया जायगा और उसका भुगतान राज्य सरकार को किया जायगा :

परन्तु जहां गाड़ी के प्रवेश करने के सम्बन्ध में एक बार कर का भुगतान कर दिया गया हो, वहां उसी दिन फिर से प्रवेश करने के लिए कोई पथ-कर उद्गृहीत नहीं किया जायगा।

(2) पथ-कर का भुगतान मोटर परिवहन गाड़ी के परिचालक द्वारा किया जायगा।

नाका की स्थापना

4—पथ-कर का संग्रह करने के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य की सीमा पर ऐसे स्थानों पर जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, नाका स्थापित करेगी।

पथ-कर का भुगतान किये बिना प्रवेश करने का प्रतिषेध

5—कोई मोटर परिवहन गाड़ी जिसके सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन पथ-कर का भुगतान किया जाना है, राज्य में तब तक प्रविष्ट नहीं कराई जायगी और न चलाई जायगी जब तक कि पथ-कर का भुगतान न कर दिया जाय, और पथ-कर अधिकारी को इन उपबन्धों के उल्लंघन में गाड़ी के प्रवेश करने या चलाने से रोकने की शक्ति होगी।

रोकने और अभिग्रहण करने की शक्ति

6—(1) चाहे नाका पर या राज्य के भीतर किसी अन्य स्थान पर पथ-कर अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपेक्षा की जाने पर किसी मोटर परिवहन गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को रोकेगा और उसे युक्तियुक्त समय तक स्थिर रखेगा ताकि पथ-कर अधिकारी, या, यथास्थिति, प्राधिकृत व्यक्ति अपना यह समाधान कर सके कि पथ-कर का, यदि देय हो, भुगतान कर दिया गया है और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों का अनुपालन किया गया है।

(2) जब पथ-कर अधिकारी या उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, गाड़ी के ड्राइवर को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यह विश्वास करने का कारण हो—

(क) कि पथ-कर का भुगतान नहीं किया गया है, तब वह गाड़ी को या उसके किसी भाग या उप साधन को, जो उसकी राय में पथकर की वसूली के लिए पर्याप्त हो, पथकर का भुगतान किये जाने तक रोक सकता है, या

(ख) कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का कोई उल्लंघन किया गया है, तब वह गाड़ी को या उसके किसी भाग या उपसाधन को जो उसकी राय में धारा 7 के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की अधिकतम धनराशि की वसूली के लिए पर्याप्त हो, ऐसी धनराशि के बराबर नकद प्रतिभूति जमा करने तक रोक सकता है ;

(3) इस प्रकार रोकी गई चीजों या जमा की गयी प्रतिभूति के सम्बन्ध में ऐसी रीति से कार्यवाही की जायगी जैसी विहित की जाय ।

शास्ति और अपील

7—(1) यदि पथ-कर अधिकारी का, ऐसी जांच जिसे वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है तो वह आदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति पथ-कर के अतिरिक्त, यदि उसके द्वारा कोई देय हो, जुर्माना के रूप में दो सौ पचास रुपये से अनधिक धनराशि का भुगतान करेगा :

परन्तु कोई ऐसा आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसा आदेश उसे संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध ऐसे अपील प्राधिकारी को जिसे विहित किया जाय, अपील कर सकता है और ऐसे अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा ।

पथ-कर आदि का उद्ग्रहण, भुगतान और संग्रह करने की रीति

8—(1) पथ-कर का उद्ग्रहण, भुगतान और संग्रह ऐसी रीति से किया जायगा जैसी विहित की जाय ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन वसूली योग्य कोई पथ-कर, जुर्माना या अन्य देय, यदि उसका भुगतान उसके देय होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर न किया जाय, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है ।

एकमुश्त धनराशि के लिए करार

9—इस अधिनियम में अन्यत्र दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे पथ-कर की धनराशि के बदले में, जो परिचालक द्वारा राज्य सरकार को ऐसी अवधि के लिये जो सम्मत हो, देय हो, एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने के लिये सहमत हो सकता है :

परन्तु पथ-कर की दर में किसी ऐसे परिवर्तन से जो ऐसे करार के दिनांक के पश्चात् प्रवृत्त हो, करार की अवधि के उस भाग के सम्बन्ध में जिसमें ऐसी परिवर्तित दर प्रवृत्त रहे, सम्मत एकमुश्त धनराशि में आनुपातिक परिवर्तन किया जायगा ।

पथ-कर से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति

10—राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, और ऐसी अवधि के लिए, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, किसी मोटर परिवहन गाड़ी या मोटर परिवहन गाड़ियों के किसी वर्ग को पथ-कर के उद्ग्रहण और भुगतान से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है ।

पारस्परिक अनुबन्ध

11—इस अधिनियम में अन्यत्र दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां पथ-कर के उद्ग्रहण, संग्रह और भुगतान के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य राज्य सरकार के साथ कोई पारस्परिक अनुबन्ध किया जाय, वहां पथ-कर का उद्ग्रहण, संग्रह और भुगतान ऐसे अनुबन्ध के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार किया जायगा :

परन्तु इस प्रकार उद्गृहीत पथ-कर उस पथ-कर से अधिक नहीं होगा जो इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन अन्यथा उद्गृहीत होता ।

सद्भावपूर्वक किये गये कार्य के लिए संरक्षण

12—किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी बात के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किया गया हो या किये जाने के लिए तात्पर्यित या आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी ।

नियम बनाने की शक्ति

13—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

निरसन और अपवाद

14—(1) उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव ।

No. 1519/XVII-V-1—41-1979

Dated Lucknow, June 12, 1979

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Parivahan Gadi (Path-Kar) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 1979), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on June 10, 1979 :

THE UTTAR PRADESH MOTOR TRANSPORT VEHICLES (TOLL) ACT, 1979

[U. P. Act no. 18 of 1979]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the levy of toll on certain motor vehicles entering Uttar Pradesh and for matters incidental thereto and connected therewith.

It is hereby enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Transport Vehicles (Toll) Act, 1979.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on May 1, 1979.

Definitions.

2. In this Act—

(*a*) "barrier" means a barrier established under section 4 ;

(*b*) "goods vehicle" shall have the meaning assigned to it in the Uttar Pradesh Motor Gadi (Mal-kar) Adhiniyam, 1964 ;

(*c*) "motor transport vehicle" means a stage carriage or a goods vehicle ;

(*d*) "operator" means any person whose name is entered in the permit in respect of the motor transport vehicle, as the holder thereof and includes any person for the time being in charge of the vehicle ;

(*e*) "stage carriage" shall have the meaning assigned to it in the Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri-Kar) Adhiniyam, 1962 ;

(*f*) "toll" means the toll levied under section 3 ;

(*g*) "toll tax officer" means such officer or officers as the State Government may, by notification, appoint to be the Toll Tax Officer for the whole of Uttar Pradesh or for any area or areas thereof for the purposes of this Act and includes a Tax Officer appointed under the Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri Kar) Adhiniyam, 1962 or under the Uttar Pradesh Motor Gadi (Mal Kar) Adhiniyam, 1964 ;

(*h*) words and expressions used and not defined in this Act but defined in the Motor Vehicles Act, 1939, shall have the respective meanings assigned to them in that Act.

Levy of toll.

3. (1) There shall be levied and paid to the State Government a toll on every motor transport vehicle plying under a permit granted under the Motor Vehicles Act, 1939, by an authority having jurisdiction outside Uttar Pradesh, entering the limits of Uttar Pradesh, at such rate not exceeding one hundred rupees per vehicle, as the State Government may by notification specify :

Provided that where toll has been paid once in respect of the entry of the vehicle no toll shall be levied for any subsequent entry on the same day.

(2) The toll shall be paid by the operator of the motor transport vehicle.

Establishment of barriers.

4. For the purposes of collection of toll, the State Government shall, by notification, establish barriers at such places on the State boundary as may be specified in the notification.

Prohibition of entry without paying toll.

5. No motor transport vehicle liable to pay toll under section 3, shall be entered or plied in the State unless the toll has been paid, and the Toll Tax Officer shall have the power to prevent the entry or plying of such vehicle in contravention of these provisions.

Powers to stop and seize.

6. (1) When so required by the Toll Tax Officer or any other person authorised by him in this behalf, the driver of a motor transport vehicle shall stop the vehicle whether at the barrier or any other place with in the State, and keep it stationary for a reasonable period in order to enable the Toll Tax Officer or the person authorised, as the case may be, to satisfy himself that the toll, if payable, has been paid and that other provisions of this Act have been complied with.

(2) When the Toll Tax Officer or the person authorised by him under sub-section (1) has reason to believe after giving the driver of the vehicle a reasonable opportunity of being heard—

(*a*) that the toll has not been paid, he may detain the vehicle or any part or accessory thereof sufficient in his opinion for realisation of the toll, until the toll is paid, or

(*b*) that any breach of the provisions of this Act has been committed, detain the vehicle or any part or accessory thereof sufficient in his opinion for realisation of the maximum amount of penalty leviable under section 7, until cash security equivalent to such amount is furnished.

(3) The things so detained or the security so deposited shall be dealt with in such manner as may be prescribed.

Penalty and appeal.

7. (1) If the Toll Tax Officer is satisfied after making such enquiry as he may deem necessary that any person has committed a breach of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, he may order that such person shall pay by way of penalty in addition to the toll, if any, payable by him, a sum not exceeding two hundred and fifty rupees :

Provided that no such order shall be made unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) Any person aggrieved by an order under sub-section (1) may, within thirty days from the communication of such order to him, prefer an appeal against such order to such appellate authority as may be prescribed and the order of such appellate authority shall be final.

Manner of levy, payment and collection of toll, etc.

8. (1) The toll shall be levied, paid and collected in such manner as may be prescribed.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1) any toll, penalty or other dues recoverable under this Act, if not paid within fifteen days of its becoming due, may be realised as arrears of land revenue.

Lump sum agreement.

9. Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, the State Government or any officer authorised by it in this behalf, may agree to accept a lump sum in lieu of the amount of toll that may be payable, for such period as may be agreed upon, by the operator to the State Government :

Provided that any change in the rate of toll which may come into force after the date of such agreement shall have the effect of making a proportionate change in the lump sum agreed upon in relation to the part of the period of agreement during which such changed rate remains in force.

Power of State Government to exempt from toll.

10. The State Government may by notified order, subject to such conditions, if any, and for such period, as may be specified in the order, exempt any motor transport vehicles or any class of motor transport vehicles from the levy and payment of toll either wholly or partially.

Reciprocal agreement. 11. Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act where any reciprocal agreement relating to levy, collection and payment of the toll is entered into by the State Government with any other State Government, the levy, collection and payment of the toll shall be in accordance with the terms and conditions of such agreement :

Provided that the toll so levied shall not exceed the toll which would have otherwise been levied under other provisions of this Act.

Protection of action in good faith. 12. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or purported or intended to be done, in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder.

Power to make rules. 13. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Repeal and savings. 14. (1) The Uttar Pradesh Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance, 1979, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 81 सा० (विधायि.)--12-6-79--(830)--1979--650 (मेक०)।